बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय संचालन संबंधी मार्गदर्शिका

जनगणना, 2001 के अनुसार, भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग है जो कि कुल जनसंख्या का 2.13% है। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलन संबंधी और मानसिक विकलांगताएँ शामिल है। 75% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 8 करोड़ 30 लाख है जिसमें बिहार राज्य में विकलांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 18 लाख 88 हजार है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 2.27% है। राज्य में विकलाग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 18 लाख 88 हजार में दृष्टिहीन विकलांगों की संख्या 10 लाख, मूक विकलांगों की संख्या 1 लाख 35 हजार, बधिरों की संख्या 74 हजार, शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या 5 लाख 12 हजार एवं मानसिक रूप से विकलांगों की संख्या 1 लाख 65 हजार है।

शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास का सबसे कारगर माध्यम है। **संविधान के अनुच्छेद 21 क** जिसमें शिक्षा के मूलभूत अधिकार की गारंटी है और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपयुक्त वातावरण में उपलब्ध कराई जानी है। जनगणना 2001 के मुताबिक 55% निःशक्त व्यक्ति अनपढ़ है। यह बहुत बड़ा प्रतिशत है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 26 के अनुसार **''उनके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बालकों की ऐसी विद्यालयों तक पहुँच हो।''**

सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय अधीन तीन नेत्रहीन विद्यालय तथा पॉच मूक बधिर विद्यालय संचालित है जिसमें कुल 376 छात्रों को निःशुल्क आवासन, भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके आलावे मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहने के कारण इसकी कमी अर्से से महसूस की जा रही है। अतः मानसिक विकलांग बच्चों के लिए गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अथवा सरकारी स्तर से विद्यालयों के संचालन की कार्रवाई की जा सकती है। वर्त्तमान में देश के कई राज्य यथा प0 बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली एवम् कर्नाटक आदि राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय का संचालन किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय (डे केयर स्कूल) के संचालन का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे राज्य मुख्यालय पटना तथा गया एवं भागलपुर में प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है एवं आवश्यकतानुरूप इसे अन्य प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में विस्तारित किया जा सकता है। ऐसे विद्यालय का संचालन विभाग

द्वारा निर्धारित शर्त एवं मापदंडों के अनुरूप इस प्रक्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकतानुरूप विभाग समय–समय पर मार्गदर्शिका में व्यावहारिक संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

इस योजना का उद्देश्य मानसिक विकलांग बच्चों की देख–भाल की सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसे विकलांगजनों को समाज के मुख्य धारा में लाने का मौका उपलब्ध कराना, उनके लिए आवश्यक चिकित्सकीय देख–भाल करना एवं बच्चों को न्यूनतम मूल्य पर देख–भाल की सुविधा उपलब्ध कराना है, तथा स्वतंत्र जीवन जीने का मौका उपलब्ध कराना है।

(i) <u>लाभार्थियों की पात्रताः</u>–इस योजना का लाभ 5 से 18 वर्ष तक के आयु के मानसिक विकलांग, शिक्षण विकलांगता (Learnig Disability) से ग्रसित बच्चे, विशेष शिक्षण समस्या वाले बच्चों को देय होगा।

- **मानसिक विकलांगता का तात्पर्य हैः**– स्वपरायणता, (Autism) प्रमस्तिष्क अंगघात, (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा उससे संबंधित अन्य विकलांगता एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) आदि से ग्रसित बच्चे।
- **लाभार्थियों के लिए आय की कोई अधिसीमा नही होगी।** 50 से अधिक लाभार्थियों का नामांकन प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में अधिक प्रतिशत/गंभीर विकलांगता वाले विकलांग बच्चे को प्राथमिकता दी जायगी।

(ii) <u>नामांकनः</u>–माता–पिता, अभिभावक स्वयं ऐसे बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त लोकल लेभल कमिटि, स्नैक (स्टेट नोडल एजेन्सी सेन्टर), स्नैप (स्टेट नोडल एजेन्सी पार्टनर) अथवा जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के अनुशंसा पर भी ऐसे विद्यालय में प्रवेश/नामांकन दिया जायेगा। नामांकन की सूचना हेतु प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जायगा। विद्यालय का सत्र जनवरी–दिसम्बर तक का होगा। नामांकन हेतु संबंधित जिले के सहायक निदेशक की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगाः–

(i) सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग–**अध्यक्ष**

(ii) विद्यालय संचालन हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्था के सचिव–**सदस्य**

(iii) समन्वयक– **सदस्य सचिव**

(iv) स्नैक–**सदस्य**

(v) स्नैप–**सदस्य**

(iii) <u>स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हताः</u>–

(1) निबंधित न्यास (Trust) फाउन्डेशन या सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्था।

(2) संस्था, ट्रस्ट, फाउन्डेशन निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 52 के तहत निबंधित हों। (राष्ट्रीय न्यास (National Trust) के तहत निबंधित संस्थाओं/ट्रस्ट/फाउन्डेशन को प्राथमिकता दी जायगी)।

(3) संस्था का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन हों।

(4) संस्था का तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन हों। (Annual Report)

(5) संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप मकान, (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हों। अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

(6) संस्थाओं के पास यथा संभव प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो अर्थात वे भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilition of India) के मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षित हों तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से निबंधित हों।

(7) विकलांगता प्रक्षेत्र (RCI) विशेषकर मानसिक विकलांगता में कार्य अनुभव (विस्तृत आलेख सहित)।

(8) संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित है या नही।

(9) संस्था क्या पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है?

(10) क्या संस्था के पास संभावित लाभार्थियों संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिस पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त संस्था का चयन किया जायगा।

चयनित संस्था का विभाग के साथ 11 (ग्यारह) माह के लिए अनुबंध किया जायगा।

(iv) शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता:-

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	समन्वयक (Coordinator)	01	(i) बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन (BMR) (ii) मानसिक मंदता में रेगुलर बी0एड0 तथा न्यूनतम छः वर्षो का कार्य अनुभव एवम् MDPS (Madras Developmental Programme Schedule की जानकारी अनिवार्य। स्नातकोत्तर (एम0एड0, एम.आर) की डिग्री वाले को प्राथमिकता दी जायगी।	15000/-
2	विशेष प्रशिक्षक (Special Educators)	08	B.Ed (MR) या DRT विशेष प्रशिक्षण में डिप्लोमा या डिग्री एवम् 2 वर्षो का पुनर्वास कार्यो में कार्यानुभव, MDPS की जानकारी अनिवार्य। मानसिक मंदता में बी0एड0 के डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जायगी।	12000/-
3	शिक्षण सहायक (Teaching Assistant)	10	न्यूनतम इंटरमीडियट एवम् एक वर्षीय व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण (DVT) एवम् MDPS में जानकारी अनिवार्य।	8000/-
4	कम्प्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor)	02	न्यूनतम इंटरमीडियट, सी0ए0डी0 कम्प्यूटर ट्रंसमिटिंग डिभाइस) स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर का अनुभव।	5000/-
5	आया	02	मैट्रिक एवम् केयर-गिभर का छः माह का प्रशिक्षण	3000/-
6	अनुसेवक	01	आठवीं कक्षा उत्तीण एवम् साईकिल चलाने का ज्ञान।	3000/-

अंशकालिक कर्मी:—

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	स्पीच थेरापिस्ट	01	ऑडियोलॉजी स्पीच लैग्वेज पैथोलॉजी (BASLP) में स्नातक।	प्रति भ्रमण 250/—
2	पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist)	01	पुनर्वास मनोविज्ञान में M.A/ M. Phil की डिग्री।	प्रति भ्रमण 250/—

कार्यालय हेतु कर्मी :—

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	सहायक	02	स्नातक की डिग्री एवम् कम्प्यूटर का ज्ञान	5.000/—
2	लेखापाल	01	बी0 कॉम की डिग्री तथा प्रख्यात संस्थान में 2 वर्षो का कार्य अनुभव।	5.000/—
3	सुरक्षा प्रहरी	03	सेवा प्रदाता एजेन्सियों (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से चयन। सेवानिवृत्ति सेवा के कर्मी को प्राथमिकता दी जायगी।	3.000/—

चयनित स्वयंसेवी संस्था इन्हीं मापदंडों एवम् योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा विद्यालय हेतु उपलब्ध कराएगें। प्रत्येक पद के लिए न्यनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमाा 45 वर्ष होनी चाहिए।

मात्र समन्वयक (Coordinator) हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है।

(v) शिक्षक कर्मियों के कर्त्तव्य:—

➢ **समन्वयक :—**

(i) सत्र हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना एवम् संचालित करवाना, विद्यालय के लिए विशेष गतिविधियों के कार्यक्रम तैयार करवाना।

(ii) अभिभावकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करवाना।

(iii) विद्यालय विशेष गतिविधियों का मूल्यांकन एवम् अनुश्रवण।

(iv) व्यक्तिगत एवम् समूह शिक्षण कार्य हेतु योजना तैयार करना, कार्यान्वित कराना एवम् मूल्यांकन करना।

(v) लाइफ स्किल प्रशिक्षण का योजना बनाना साथ ही इसका कार्यान्वयन एवम् मूल्यांकन।

(vi) कक्षाओं में भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करवाना।

(vii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवम् कम्प्यूटर लैब का पर्यवेक्षण।

(viii) एन0आई0ओ0एस0 (National Institute of Open School) परीक्षाओं को संचालित करवाना।

(ix) विशेष/आपातकाल परिस्थितियों में आवश्यकतानुरुप निर्णय लेना।

(x) प्रत्येक विद्यार्थी/लाभार्थी का शैक्षणिक एवम् नैदानिक (Clinical) सूचना/जानकारी संधारित करना।

(xi) नामांकन संबंधी औपचारिकताओं का निर्वहन।

(xii) अभिभावकों एवम् आंगतुकों से मिलना, समस्याओं को सुनना एवम् निष्पादित करना।

विशेष प्रशिक्षक:–

1. उद्देश्यपरक एवम् वास्तविक Lesson Plan बनाना जिससे लाभार्थियों/बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने का अधिकाधिक लाभ मिले।
2. सभी बच्चों के विशेष बुद्धि क्षमता की पहचान करना एवम् उसी अनुरूप कक्षा का शिक्षण कार्य संचालित करवाना।
3. आई0ई0पी0 (Individual Education Plan) तैयार करना एवम् टी0एल0एम0(Teaching Learning Material) विकसित करना।
4. विद्यार्थियों के समक्ष रोल मॉडल के रूप में कार्य करना।
5. आवश्यकतानुरूप बच्चा विशेष की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों तैयार करना।
6. बच्चों के प्रदर्शन का अनुश्रवण करना।
7. कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्य को संचालित करवाना।

शिक्षण सहायक :–

(i) सभी स्तर के बच्चों के लिए कार्य करने की तत्परता एवम् क्षमता प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना एवम् उसे कार्यान्वित कराना।

(ii) बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यो का अनुश्रवण कराना।

(iii) अन्य क्षमता प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराना।

(iv) विद्यालय के सभी बच्चों एवम् उनके अभिभावकों के साथ बैठक यथा संभव सुझाव।

(v) बच्चों को Daily Life Skills सिखाना तथा स्वयं सहायता संबंधी गतिविधियों को सिखलाना।

(vi) बच्चों को सृजनात्मक कार्यो में सहयोग देना।

(vii) बच्चों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

(viii) बच्चों की नितांत आवश्यक जरूरतों को पूरा करना उनके सफाई एवम् समयबद्ध तैयारी पर ध्यान देना।

(ix) कक्षा में साफ–सफाई पर ध्यान रखना।

स्पीच थेरापिस्ट :–

1. मुख के लिए विभिन्न व्यायाम एवम् प्रशिक्षण करवाना।
2. बच्चों की बोलने एवम् भाषा संबंधी जॉच।
3. बच्चों की श्रवण क्षमता संबंधी जॉच।
4. माता–पिता को परामर्श देना/मार्गदर्शन देना।
5. बच्चों को स्पीच एवम् ऑडिटरी प्रशिक्षण देना।

(vi) संचालन एवम् अनुश्रवण पदाधिकारी:– इस योजना के संचालन अनुश्रवण एवम् पर्यवेक्षण संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किया जाएगा। संचालन का तात्पर्य है विद्यालय की सभी गतिविधियों हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी कर चयनित स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराना। साथ ही विद्यालय में नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराना तथा नामांकन सुनिश्चित करवाना। संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक कोषांग सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना तथा संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (C.R.C) पटना के द्वारा तैयार किये गये पर्यवेक्षण प्रपत्र के अनुरूप विद्यालय संचालन का

अनुश्रवण करेंगे। तत्संबंधी प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही में उनके द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय को प्रतिवेदित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह विद्यालय संचालन संबंधी मासिक प्रतिवेदन भी निदेशालय को अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पदाधिकारी चयनित स्वयंसेवी संस्था एवम् विभाग के बीच समन्वयक के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(vii) <u>पाठ्यक्रम/गतिविधियों का संचालन :–</u>

इस विद्यालय के लिए आवश्यक गतिविधियों/पाठ्यक्रम का संचालन अनुलग्नक 'A' के अनुरूप किया जायगा। नामांकित 50 बच्चों की वास्तविक स्थिति के आवश्यकतानुरूप विशेषज्ञों से परामर्श/निदेश प्राप्त कर इस पाठ्यक्रम/गतिविधि में संशोधन किया जा सकता है। यह भी संभव है कि 50 बच्चों के लिए अलग–अलग उनकी क्षमता के अनुरूप Individual Education Plan तैयार करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं भाषा संबंधी पहलुओं का समावेश हो।

(viii) <u>विशेष प्रशिक्षण एवम् खेल–कूद की सामग्रिया :–</u>

संलग्न अनुलग्नक– B में अंकित सामग्रियों के अनुरूप किया जा सकता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सामग्रियों को क्रय कर बच्चों के नामांकन के उपरांत उनकी विकलांगता की प्रतिशत एवं व्यवहार को ध्यान में रखते हुए संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (CRC) पटना के कन्सलटेशन से किया जायगा।

(ix) <u>अनुदानः–</u> समाज कल्याण विभाग एक बार में प्रथम छमाही का अनुदान विमुक्त करेगा। छः माह के उपरान्त विभाग द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण के उपरांत अगली किश्त स्वयंसेवी संस्था को दी जायगी।

(x) <u>भवनः–</u> विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम 3000 वर्गफीट की भवन की उपलब्धता अनिवार्य होगी जो कि साफ–सुथरा एवं हवादार हो। यदि यह किराये के भवन में संचालित किया जाना है तो किरायानामा (Rent Agreement) देना अनिवार्य होगा।

(xi) <u>सामान्य अनुदेशः–</u> इस विद्यालय में निम्नांकित मूलभूत सुविधाओं को बच्चों के लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा यथा–

1. विद्यालय परिसर यथा संभव बाधा रहित (Barrier free) हो
2. सभी फर्नीचर गोलाकार आकृति के हो
3. बच्चों का बैठने का डेस्क एवम् टेबूल लो फुट का होना चाहिए
4. ब्लैकबोर्ड भी लो फुट का होना चाहिए
5. बच्चों को आवश्यकतानुरूप कागज, पेंसिल एवम् कलर उपलब्ध कराना चाहिए
6. आवश्यकतानुरूप खिलौने एवम् व्यावसायिक प्रशिक्षण की सामग्रियॉ बच्चों के पहुॅच के स्तर पर होनी चाहिए
7. एक कमरे में यथा संभव मोटे दरी के बिछाने की व्यवस्था होनी चाहिए
8. दिवाल लेखन, चित्रकारी के माध्यम से सामान्य ज्ञान की बातें बच्चों को बताई जा सकती हैं।
9. विद्यालय में नामांकित बच्चों को किसी भी प्रकार की परिवहन की सुविधा नहीं दी जायगी।